

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मेसर्स विभा राज कंस्ट्रक्शन

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2669

03 अगस्त 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय)

विचार के लिए मुद्दा

क्या दिनांक 17.11.2022 एवं 28.11.2022 को पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के कारण निरस्त किए जाने योग्य हैं।

हेडनोट्स

यह तथ्य स्वीकार किया गया कि आदेश पारित करने से पूर्व याची को कोई अवसर नहीं दिया गया और इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया। - चूँकि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, अतः प्रश्नगत आदेशों को निरस्त किया जाना आवश्यक है। (पैरा - 11, 16)

याचिका स्वीकार की जाती है। (पैरा - 18)

न्याय दृष्टान्त

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य, (2023) 6 एससीसी 1

अधिनियमों की सूची

बिहार मिनरल्स (कंसेशन, प्रिवेंशन ऑफ इल्लिगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज) नियमावली, 2019

मुख्य शब्दों की सूची

प्राकृतिक न्याय; ऑडी अल्टरम पार्टेम; आदेश निरस्तीकरण; खनन पट्टा; बिहार मिनरल्स नियमावली, 2019 जुर्माना अधिरोपण सुदिनांक 17.11.2022 एवं 28.11.2022 को पारित आदेशों को चुनौती, जिसके अंतर्गत बिहार मिनरल्स नियमावली, 2019 के उल्लंघन के लिए 5,58,84,731/- रुपये का जुर्माना लगाया गया।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याची की ओर से: श्री उमेश प्रसाद सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री संजीव कुमार, श्री मुकेश कुमार, श्री वैभव वीर शंकर, श्री प्रिया रंजन, अधिवक्ता

राज्य की ओर से: श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जीए-7, श्री उदय शंकर पांडेय, एसी टू जीए-7

खनन विभाग की ओर से: श्री नरेश दीक्षित, विशेष लोक अभियोजक, श्री उत्सव आनंद, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया:

अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

सुनवाई का अवसर

प्रकरण से उत्पन्न

दिनांक 17.11.2022 एवं 28.11.2022 को पारित आदेशों को चुनौती, जिसके अंतर्गत बिहार मिनरल्स नियमावली, 2019 के उल्लंघन के लिए 5,58,84,731/- रुपये का जुर्माना लगाया गया।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याची की ओर से: श्री उमेश प्रसाद सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री संजीव कुमार, श्री मुकेश कुमार, श्री वैभव वीर शंकर, श्री प्रिया रंजन, अधिवक्ता राज्य

की ओर से: श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जीए-7, श्री उदय शंकर पांडेय, एसी टू जीए-7

खनन विभाग की ओर से: श्री नरेश दीक्षित, विशेष लोक अभियोजक, श्री उत्सव आनंद, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया:- अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं 2669

=====

मेसर्स विभा राज कंस्ट्रक्शन अपने निदेशक एकलव्य कुमार के माध्यम से,
आयु लगभग 38 वर्ष (पुरुष), पिता - श्री राजबल्लभ प्रसाद , निवासी - ग्राम-
पथरा इंग्लिश, थाना- मुफसिल, जिला-नवादा।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. अपर मुख्य सचिव-सह-प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार,
पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अपर मुख्य सचिव-सह-प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार,
पटना।
3. निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार, पटना।
4. जिलाधिकारी , शेखपुरा, बिहार।
5. खनिज विकास अधिकारी, शेखपुरा।

.....प्रतिवादी/ओं

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता के लिए : श्री उमेश प्रसाद सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री संजीव कुमार, अधिवक्ता

श्री मुकेश कुमार, अधिवक्ता

श्री वैभव वीर शंकर, अधिवक्ता

श्री प्रिया रंजन, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

श्री उदय शंकर पांडे, जी. ए. 7 के एसी

खान विभाग के लिए: श्री नरेश दीक्षित, एस. पी. पी.

श्री उत्सव आनंद, अधिवक्ता

=====

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय**मौखिक आदेश****तारीख: 03-08-2023**

याचिकाकर्ता की ओर से माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उमेश प्रसाद सिंह तथा खान विभाग की ओर से माननीय विशेष लोक अभियोजक श्री नरेश दीक्षित को सुना।

2. प्रार्थना यह है कि निम्न आदेश को निरस्त किया जाए:-

(i) खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या 5621,

दिनांक 17.11.2022, जिसके माध्यम से जिला पदाधिकारी, शेखपुरा को

₹5,58,84,731/- (पाँच करोड़ अट्ठावन लाख चौरासी हजार सात सौ इकत्तीस रुपये) का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया है। और

(ii) संख्या 1418, दिनांक 28.11.2022, जो जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा जारी किया गया है, को निरस्त करने हेतु, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता को ₹5,58,84,731/- (रुपये पाँच करोड़ अट्ठावन लाख चौरासी हजार सात सौ इकत्तीस मात्र) का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया है, यह कहते हुए कि उसने बिहार खनिज (अनुमति, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2019 के नियम 39 एवं 56 का उल्लंघन किया है, क्योंकि उसने अपने स्थल पर पत्थर खनिज का भंडारण किया था, जो कि अवैध और विधि के पूर्णतः गलत एवं भ्रान्तिपूर्ण प्रावधानों पर आधारित है; तथा किसी अन्य राहत के लिए जिसके लिए याचिकाकर्ता पात्र पाया जा सकता है।

3. वर्णित मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:-

4. याचिकाकर्ता को मौज़ा-मटोकर, सूरदासपुर, जिला-शेखपुरा, पी. ओ. शेखपुरा खाता संख्या 272 और 132, प्लॉट संख्या 1030 (पी), ब्लॉक संख्या 5 में खनन पट्टा दिया गया था।

5. वह, इस प्रकार, जिला खनन कार्यालय, शेखपुरा द्वारा 28.11.2018 को जारी अधिसूचना संख्या 15/2018 (रिट याचिका के परिशिष्ट-1) के अनुसार कार्य कर रहा था।

6. हालाँकि, वे दोनों पत्रों को एक के बाद एक प्राप्त करके आश्चर्यचकित थे। उसका मामला यह है कि उससे रुपये देने के लिए कहने से पहले। 5,58,84,731/-, उन्हें कभी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।

7. माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार, पटना के संयुक्त सचिव द्वारा दिनांक 17.11.2022 को जारी पत्र संख्या 5621 तथा कलेक्टर, शेखपुरा द्वारा दिनांक 28.11.2022 को जारी पत्र संख्या 1418 (क्रमशः रिट याचिका के परिशिष्ट-15 एवं 16) का अवलोकन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि :—

(i) याचिकाकर्ता को उक्त आदेश पारित होने से पहले नोटिस पर नहीं रखा गया था;

(ii) कलेक्टर, शेखपुरा की ओर से विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है और उन्होंने केवल विभाग के संयुक्त सचिव के निर्देश का पालन किया है।

(iii) संयुक्त सचिव के पास कलेक्टर को ऐसा कोई निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं था।

8. इस प्रकार, वह प्रस्तुत करता है कि केवल इसी आधार पर, विचाराधीन आदेश रद्द किए जाने के योग्य हैं।

9. उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान सीधे माननीय उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य, (2023) 6 एस.सी.सी. 1, विशेष रूप से पैरा 36 की ओर आकर्षित किया, जो इस प्रकार है :—

“36. यह ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत मात्र कानूनी औपचारिकताएँ नहीं हैं, बल्कि वे वास्तविक एवं ठोस दायित्व हैं, जिनका पालन निर्णय लेने वाली एवं न्यायनिर्णायक प्राधिकारियों द्वारा किया जाना आवश्यक है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत न्यायिक, अर्ध-न्यायिक तथा प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली मनमानी कार्यवाही—चाहे वह प्रक्रिया के रूप में हो या विषय-वस्तु के रूप में—के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय न्यायशास्त्र में प्राकृतिक न्याय के दो मूलभूत सिद्धांत निहित हैं: (i) कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता; और (ii) प्रशासनिक, न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक कार्यवाही से प्रभावित व्यक्ति को निर्णय लेने से पूर्व सुना जाना चाहिए। न्यायालय सामान्यतः किसी वैधानिक उपबंध की ऐसी व्याख्या को वरीयता देते हैं, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हो, क्योंकि यह माना जाता है कि वैधानिक प्राधिकारी मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करने का अभिप्राय नहीं रखते। इन सिद्धांतों का अनुप्रयोग मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, उस कानून की स्पष्ट भाषा और मूल ढाँचे, जिसके अंतर्गत प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, उस शक्ति के प्रदाय का स्वरूप और उद्देश्य, तथा उस शक्ति के प्रयोग के अंतिम प्रभाव पर निर्भर करता है।”

10. उन्होंने आगे इस न्यायालय का ध्यान उक्त आदेश के पैराग्राफ 45 की ओर आकर्षित किया है जो इस प्रकार है:-

“45. केनरा बैंक बनाम वी.के. अवस्थी के मामले में, इस न्यायालय की दो-सदस्यीय पीठ ने प्रशासनिक कार्यवाहियों में, जिनसे नागरिक परिणाम

उत्पन्न होते हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के इतिहास, दायरे और अनुप्रयोग का संक्षिप्त सार इस प्रकार प्रस्तुत किया: (एस.सी.सी. पृष्ठ 331-32, पैरा 14)

“14. प्राकृतिक न्याय की अवधारणा ने हाल के वर्षों में काफी परिवर्तन देखा है। प्राकृतिक न्याय के नियम हमेशा किसी अधिनियम में या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में प्रत्यक्ष रूप से निहित नहीं होते। इन्हें उस कानून के अंतर्गत संपन्न किए जाने वाले कर्तव्य की प्रकृति से निहित रूप में ग्रहण किया जा सकता है। किस विशेष प्राकृतिक न्याय के नियम को निहित माना जाए और किसी विशेष मामले में उसका संदर्भ क्या हो, यह बहुत हद तक उस मामले के तथ्य और परिस्थितियों तथा उस अधिनियम के ढाँचे पर निर्भर करेगा, जिसके अंतर्गत जांच की जा रही है। न्यायिक कृत्य और प्रशासनिक कृत्य के बीच का पुराना भेद अब समाप्त हो चुका है। यहाँ तक कि कोई प्रशासनिक आदेश, जिससे नागरिक परिणाम उत्पन्न होते हों, वह भी प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुरूप होना चाहिए। “नागरिक परिणाम” शब्दावली का अर्थ केवल संपत्ति अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नागरिक स्वतंत्रताओं, भौतिक वंचनाओं और किसी नागरिक के उसके नागरिक जीवन में होने वाले हनन का समावेश होता है।’

(जोर दिया गया)

11. उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि, संक्षेप में कहें तो, चूँकि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, अतः विवादित आदेश को निरस्त किया जाना आवश्यक है।

12. दिनांक 23.06.2023 को, प्रतिवादी संख्या 3 से 5 — खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार, पटना — को प्रति-शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, जो अब दाखिल किया जा चुका है। इस न्यायालय ने प्रतिवादियों द्वारा दायर उत्तर तथा याचिकाकर्ता द्वारा पैरा 24 में की गई इस विशेष अभिकथन का अवलोकन किया कि आदेश पारित करने से पूर्व उसे कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया था। इस तथ्य का कोई प्रतिवाद नहीं किया गया है; अन्य शब्दों में कहें तो, प्रतिवादियों ने स्वीकार कर लिया है कि उक्त आदेश याचिकाकर्ता को अवसर दिए बिना ही जारी किए गए थे।

13. माननीय विशेष लोक अभियोजक (खनन), श्री नरेश दीक्षित ने इस न्यायालय का ध्यान बिहार खनिज (अनुमति, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2019 के विभिन्न नियमों, विशेष रूप से नियम 39 एवं 56, की ओर आकर्षित किया, जो इस प्रकार हैं:—

39. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी पट्टा क्षेत्र से बाहर लघु/मुख्य खनिज का व्यापार करता है, को खनन पदाधिकारी से प्रपत्र- के में एक स्टॉकिस्ट लाइसेंस प्राप्त करना होगा, जिसे व्यवसाय स्थल पर स्पष्ट एवं दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा, तथा सभी ऐसे खनिजों की खरीद एवं बिक्री का सही-सही अभिलेख प्रपत्र- एच में रखना होगा, जिसे खान आयुक्त, निदेशक खान, अपर निदेशक खनन, उपनिदेशक खनन, खनन पदाधिकारी अथवा सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। प्रपत्र-के में लाइसेंस प्राप्त करने के प्रत्येक आवेदन के साथ ₹10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) का शुल्क संलग्न करना आवश्यक होगा।

(क) ऐसा प्रत्येक लाइसेंस एक कैलेंडर वर्ष के लिए वैध होगा।

(ख) ऐसे प्रत्येक लाइसेंस का नवीनीकरण, आवेदन प्रस्तुत करने पर किया जा सकता है, जिसके साथ ₹2,000/- (रुपये दो हजार मात्र) का शुल्क संलग्न करना आवश्यक होगा।

(2) उपधारा (1) में वर्णित प्रत्येक व्यक्ति, अपने भंडार से खनिज का प्रेषण करते समय, प्रत्येक परिवहनकर्ता को प्रपत्र-जी अथवा निर्धारित प्रारूप में एक परिवहन चालान जारी करेगा।

[(3)] जो कोई भी प्रपत्र-के में लाइसेंस प्राप्त करने में विफल रहता है, अथवा प्रपत्र-जी में चालान जारी नहीं करता है, अथवा प्रपत्र- एच में अभिलेख का संधारण नहीं करता है, अथवा नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, वह नियम 56 के अंतर्गत दंड का भागी होगा।

(4) किसी भी व्यक्ति को पट्टा क्षेत्र के बाहर पत्थर क्रशर स्थापित करने, लगाना अथवा संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परंतु यह कि, क्रशर में प्रयुक्त पत्थर खनिज के लिए धारित वर्तमान स्टॉकिस्ट लाइसेंस अपने लाइसेंस अवधि की वैधता तक, इस शर्त पर क्रियाशील रहेगा कि लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस में उल्लिखित सभी प्रासंगिक नियमों/विधिक प्रावधानों/शर्तों तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बि एस पि सी बी) द्वारा जारी सी टी इ एवं सी टी ओ में वर्णित शर्तों का पालन करेगा; अन्यथा लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।

आगे यह भी कि, विभाग पट्टा धारक या निर्माण गतिविधि में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न व्यक्ति को, विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों पर, पट्टा क्षेत्र की सीमा से

500 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी क्रशर, जिसमें मोबाइल क्रशर भी सम्मिलित है, की स्थापना की अनुमति प्रदान कर सकता है

[56. अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण]

(1) कोई भी व्यक्ति, बिना किसी खनिज अनुज्ञा, अनुमति-पत्र या इन नियमों के अंतर्गत प्रदान की गई अथवा अनुमत किसी अन्य अनुमति के, किसी भी क्षेत्र में खनिज का उत्खनन या हटाने अथवा कोई खनन कार्य नहीं करेगा, और न ही किसी वैध चालान या लाइसेंस के बिना किसी खनिज का परिवहन या भंडारण करेगा अथवा परिवहन या भंडारण करवाएगा।

(2) जो कोई भी उपरोक्त उप-नियम का उल्लंघन करता है, उसे एक अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जो दो साल तक बढ़ सकता है या जुर्माना जो पांच लाख रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा बशर्ते कि जिले का खनन अधिकारी या सहायक, उप निदेशक, अपर निदेशक या निदेशक खनन या सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, अभियोजन की स्थापना से पहले या बाद में उपरोक्त नियम के उल्लंघन में किए गए अपराध को खनिज और चक्रवृद्धि शुल्क की लागत के भुगतान पर चक्रवृद्धि कर सकता है जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:-

क्रम सं.	वाहन/उपकरण	चक्रवृद्धि शुल्क (रुपये में) प्रति इकाई
1	ट्रैक्टर ट्रॉली	25,000/-

2	मेटाडोर/ आधा ट्रक 407,608	50,000/-
3	फुल बॉडी ट्रक/डम्पर (हाइड्रोलिक 6 व्हीलर वाहन)	1,00,000/-
4	10 या 10 से अधिक पहियों वाले वाहन	2,00,000/-
5	क्रेन, एक्सकैवेटर, लोडर, पावर हैमर, कंप्रेसर, ड्रिलिंग मशीन आदि।	4,00,000/-

नोट करें- खनिज की लागत को किराए, रॉयल्टी, पर्यावरण क्षरण के लिए मुआवजे और वैध प्राधिकरण के बिना कब्जा की गई भूमि पर प्रभार्य कर आदि के बदले में रॉयल्टी के पच्चीस गुना के रूप में लिया जाएगा।

बशर्ते कि उपरोक्त निर्दिष्ट मामलों के अलावा अन्य मामलों में चक्रवृद्धि शुल्क की राशि पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगी और खनिज की लागत के अतिरिक्त होगी।

(3) जब भी कोई व्यक्ति, वैध प्राधिकारी के बिना, किसी खनिज रियायत या किसी अन्य अनुमति के अलावा किसी अन्य भूमि से कोई खनिज उगाता है और उस उद्देश्य के लिए किसी भी उपकरण, उपकरण, वाहन या अन्य चीज़, ऐसे उपकरण उपकरण, वाहन आदि को खनिज, यदि कोई हो, के साथ भूमि पर लाता है, तो खनन अधिकारी या जिले के पुलिस अधिकारी या कलेक्टर द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जब्त किया जाएगा, जो

उस व्यक्ति को रसीद देगा जिसके कब्जे से संपत्ति या खनिज जब्त किया गया है, बशर्ते कि इस नियम के तहत किसी भी संपत्ति या खनिज को जब्त करने वाला प्रत्येक अधिकारी इस तरह से जब्त की गई संपत्ति या खनिज को निकटतम पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी को सौंप देगा, बशर्ते कि जब्त किए गए वाहन, उपकरण या खनिज को उप-नियम (2) में निर्दिष्ट चक्रवृद्धि शुल्क के साथ खनिज की लागत जमा करने के बाद छोड़ दिया जाएगा।

आगे यह भी कि, जहाँ ज़ब्त किया गया वाहन, उपकरण या खनिज मुक्त नहीं किया जाता है, वहाँ संपत्ति अथवा खनिज को ज़ब्त करने वाला अधिकारी, ऐसी ज़बती की रिपोर्ट चौबीस घंटे के भीतर कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा।

(4) इस नियम के अंतर्गत ज़ब्त की गई सभी संपत्तियाँ, यदि अपराधी द्वारा अपराध के घटित होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर खनिज की लागत, किराया, रॉयल्टी, पर्यावरणीय क्षति के लिए मुआवज़ा, तथा बिना विधिक अधिकार के भूमि के अधिभोग पर लगाए जाने वाले कर आदि के बदले रॉयल्टी के पच्चीस गुना के बराबर राशि, साथ ही समपवर्जन शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, अथवा उस अवधि के भीतर वसूली नहीं की जाती है, तो कलेक्टर के आदेश द्वारा ज़बती (कुर्की) के लिए उत्तरदायी होंगी:

परंतु यह कि, यदि उक्त देय राशि उक्त एक माह की अवधि के भीतर अदा कर दी जाती है, तो ज़ब्त की गई सभी संपत्तियों को मुक्त करने का आदेश दिया जाएगा और उन्हें अपराधी अथवा संपत्ति के स्वामी को सौंप दिया जाएगा।

(5) जहाँ इन नियमों के अंतर्गत अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कोई कंपनी है, वहाँ वह प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के कार्यों के संचालन के लिए उत्तरदायी था और कंपनी के व्यवसाय के संचालन का प्रभारी था, उसे अपराध का दोषी माना जाएगा तथा उसके विरुद्ध अभियोजन चलाया जाएगा और उसे तदनुसार दंडित किया जाएगा।

(6) खनन, राजस्व, पुलिस एवं परिवहन विभाग अवैध खनन या खनिज के परिवहन की निगरानी हेतु समन्वित प्रयास करेंगे।

(7) इस नियम के तहत जब्त की गई संपत्ति की जब्ती और नीलामी की प्रक्रिया (i)

उप-नियम (2) के अधीन रहते हुए, जहां कलेक्टर अपने समक्ष जब्त की गई संपत्ति को पेश करने पर या जब्ती के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करने पर, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट हो जाता है कि उसके संबंध में कोई अपराध किया गया है, वह लिखित आदेश द्वारा और दर्ज किए जाने वाले कारणों से इस प्रकार जब्त किए गए खनिज को सभी उपकरणों, हथियारों, नौकाओं, वाहनों, रस्सियों, जंजीरों या ऐसे अपराध करने में उपयोग की जाने वाली किसी अन्य वस्तु के साथ जब्त कर सकता है। जब्ती पर आदेश की एक प्रति बिना किसी अनुचित देरी के खनन आयुक्त को भेजी जाएगी।

(iii) उपनियम 7 (i) के तहत किसी भी संपत्ति को जब्त करने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि कलेक्टर -

(क) उस व्यक्ति को लिखित सूचना जारी करता है जिससे संपत्ति जब्त की गई है, और किसी अन्य व्यक्ति को जो ऐसी संपत्ति में कुछ रुचि रखने के लिए कलेक्टर के सामने पेश हो सकता है।

(ख) उपरोक्त उल्लिखित व्यक्तियों को, प्रस्तावित जब्ती के विरुद्ध, नोटिस में निर्दिष्ट किसी युक्तिसंगत अवधि के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, और

(ग) उस अधिकारी को, जिसने जब्ती की है, तथा उपखंड (ii) के खंड (ख) के अंतर्गत जिन्हें नोटिस जारी किया गया है, को इस उद्देश्य के लिए नियत तिथि पर सुनवाई दी जाएगी।

(iii) उप-नियम (1) के अंतर्गत जब्त किए गए किसी भी उपकरण, हथियार, नाव, वाहन, रस्सी, जंजीर या किसी अन्य वस्तु (खनिज को छोड़कर) के संबंध में कोई जब्ती आदेश पारित नहीं किया जाएगा, यदि उप-नियम 7(ii) के खंड (b) में उल्लिखित कोई व्यक्ति कलेक्टर को यह संतुष्ट कर दे कि ऐसे उपकरण, हथियार, नाव, रस्सी, जंजीर या अन्य वस्तुएँ उसकी जानकारी या सहमति के बिना, अथवा, जैसा भी मामला हो, उसके सेवक या अभिकर्ता की जानकारी या सहमति के बिना प्रयोग की गई थीं, और यह कि उपर्युक्त वस्तुओं के अपराध में उपयोग को रोकने हेतु सभी उचित एवं आवश्यक सावधानियाँ बरती गई थीं।

(iv) जब्त किए गए सभी उपकरण, हथियार, नाव, वाहन, रस्सी, जंजीर या अन्य वस्तुएँ, सरकारी नियमों के अनुसार नीलाम की जाएँगी।

(v) जब्ती का आदेश, अन्य जब्ती या दंड में बाधा नहीं बनेगा — इस नियम के अंतर्गत पारित आदेश, उस व्यक्ति पर, जो इससे प्रभावित है, इन नियमों अथवा किसी अन्य विधि के अंतर्गत देय किसी अन्य दंड के आरोपण को नहीं रोकेगा।

14. माननीय विशेष लोक अभियोजक (खनन) का यह कथन है कि, भले ही आदेश याचिकाकर्ता को नोटिस दिए बिना पारित किए गए हों, उसके पास खनन आयुक्त के समक्ष अपील दायर करने का उपाय उपलब्ध है, जहाँ आयुक्त याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं पर विचार करेंगे और कारण सहित आदेश पारित करेंगे।

15. माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय विशेष लोक अभियोजक (खान) द्वारा प्रस्तुत उक्त कथन पर आपत्ति की। उनका कहना है कि, एक बार जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँच जाता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य (उपर्युक्त) के हाल के निर्णय के आलोक में, उक्त आदेश निरस्त किया जाना आवश्यक है।

16. यह न्यायालय माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों से सहमत है। जब यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि विवादित आदेश — पत्र संख्या 5621 दिनांक 17.11.2022, जो खनन एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार, पटना के संयुक्त सचिव द्वारा जारी किया गया, तथा पत्र संख्या 1418 दिनांक 28.11.2022, जो कलेक्टर, शेखपुरा द्वारा जारी किया गया — याचिकाकर्ता को कोई अवसर प्रदान किए बिना पारित किए गए, और जब यह भी स्वीकार किया गया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया, तो इन आदेशों में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है, विशेषकर माननीय सर्वोच्च

न्यायालय के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य (उपर्युक्त) के निर्णय के आलोक में।

17. तदनुसार आदेश दिया गया।

18. पत्र संख्या 5621 दिनांक 17.11.2022, जो खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार, पटना के संयुक्त सचिव द्वारा जारी किया गया, तथा पत्र संख्या 1418 दिनांक 28.11.2022, जो कलेक्टर, शेखपुरा द्वारा जारी किया गया (जो क्रमशः रिट याचिका के परिशिष्ट-15 एवं 16 हैं), निरस्त किए जाते हैं।

19. प्रतिवादी अधिकारी कानून के अनुसार नई प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

20. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)

नेहा/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।